12/11/25 [illegible] कोई भी उप. नहीं है। वादी
का मूल वाद अदम हाजरी पैरवी में खारिज
हो चुका है। इसलिए यह पत्रावली आगे
कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है।
ऐसी सूरत में यह पत्रावली मूल वाद
के नतीजे पर खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद
~~[illegible]~~ के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)